# कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा / माध्य. / छा.प्रो.प्र / बा.प्रो.यो. / सी.एस.एस. / एफ.डी.आर / 2017–18 / दिनांक 6/11/19

समस्त संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा, संभाग मण्डल क्षेत्र

रजिस्टर्ड पत्र / 1स्मरण पत्र

विषय :– बालिका प्रोत्साहन योजना (NSIGSE) सत्र 2015–16 व 2016–17 की पात्र बालिकाओं की मैच्युरिटी भुगतान हेतु सूचना तैयार कर भिजवाने बाबत्।

प्रसंग :– इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक दिनांक 29.08.2019 के क्रम में

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि आप के कार्यालय से केन्द्र प्रवर्तित बालिका प्रोत्साहन योजना (NSIGSE) के तहत सत्र 2015–16 व 2016–17 की समस्त पात्र बालिकाएं जिन्होंने 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है एवं जिन्होनें दिनांक 30.06.19 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हैं उन्हें मैच्योरिटी भुगतान किया जाना है, कि सूचना को अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय कार्यालयों से संकलित कर दिनांक 5.09.2019 तक चाही गई थी उक्त सूचना आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है अतः सूचना तत्काल इस कार्यालय की ई–मेल deo.scholar.dse@rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवाने का श्रम करें। सूचना प्राप्त नही होने के कारण पूर्ण प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार को प्रेषित नही हो पा रहे हैं जो कि खेद का विषय हैं।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का श्रम करें।

सलंग्न–14 कॉलम प्रपत्र व प्रासंगिक पत्र की प्रति।

(हस्ताक्षर) 6.11.19

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

## National scheme of Incentive to Girls for Secodary Education-Proforma for making payment

**Academic year:**

**District:**

**( To be filled in M.S.Excel ,Times New Roman Font Size 10)**

| S.No. | Full Name in English | Name of School | Home Address | District | State | Category: SC/ST/General | Bank Name | IFSC Code | Account Number | Aadhar Number* | Payment Amount* | Father's Name | Beneficiery's DOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

www.rajteachers.com



40

# कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

42/c

क्रमांक:– शिविरा /माध्य./छा.प्रो.प्र/बा.प्रो.यो../सी.एस.एस./एफ.डी.आर/2017–18/ दिनांक 29/8/2019

**समस्त संयुक्त निदेशक**
**स्कूल शिक्षा, संभाग मण्डल क्षेत्र**

**रजिस्टर्ड पत्र /अतिआवश्यक**

**विषय :–** बालिका प्रोत्साहन योजना (NSIGSE) सत्र 2015–16 व 2016–17 की पात्र बालिकाओं की मैच्युरिटी भुगतान हेतु सूचना तैयार कर भिजवाने बाबत्।

**प्रसंग :–** इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक दिनांक 4.06.2019 के क्रम में

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) के द्वारा आपके अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–मुख्यालय को निर्देश दिये गये थे कि केन्द प्रवर्तित बालिका प्रोत्साहन योजना (NSIGSE) के तहत सत्र 2015–16 व 2016–17 की समस्त पात्र बालिकाएं जिन्होंने 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है एवं जिन्होनें दिनांक 30.06.19 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हैं उन्हें मैच्योरिटी भुगतान किया जाना है। इस सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–मुख्यालय कार्यालयों से उक्त समस्त पात्र बालिकाओं के प्रस्ताव पूर्ण जांचोंपरान्त निर्धारित 14 कॉलम के संलग्न प्रपत्र में दिये कॉलमों को पूर्ण भरते हुए बैंक खातों एवं आधार कार्ड नम्बर सहित **M.S.Excel ,Times New Roman Font Size 10** में तैयार कर इस कार्यालय की ई–मेल deo.scholar.dse@rajasthan.gov.in पर दिनांक 31.07.19 तक भिजवाने हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र की प्रतिलिपि प्रभावी प्रबोधन हेतु आपके कार्यालय को प्रेषित की गई थी । उक्त सम्बन्ध में चाही गयी सूचनाऐं आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। सूचना प्राप्त नही होने के कारण पूर्ण प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार को प्रेषित नही हो पा रहे हैं जो कि खेद का विषय हैं।

**प्रासंगिक पत्र व निर्धारित प्रारूपों** की प्रति संलग्न कर लेख है कि अपने सम्बन्धित अधिनस्थ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–मुख्यालय से चाही गयी सूचना संकलित कर इस कार्यालय को 5.09.2019 तक प्रेषित करने का श्रम करें ताकि सूचना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार व राज्य सरकार को उपलब्ध करावाई जा सके।

इस कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता देने का श्रम करें।

**सलंग्न–**14 कॉलम प्रपत्र

29/8/19
(मोहम्मद इस्माईल)
प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

**प्रतिलिपिः–** निम्नांकित को सूचनार्थ :–

1. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर अपने अधिनस्थ समस्त विद्यालयों को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) को मैच्युरिटी प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–मुख्यालय को निर्देशित किया जाता है इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक दिनांक 4.06.2019 के क्रम में चाही गई सूचना आपन **संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, संभाग मण्डल क्षेत्र कार्यालय को तत्काल प्रेषित करे**

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर